

ANNEXURE –I

CERTIFICATE FOR DEFENCE WARDS/WIDOWS

This is to certified that Mr./Ms./Widow (Name of candidate).....born on dated.....son/daughter/widow of (Father’s/Mother’s/Husband’s Name)worked in the(Army/Navy/Airforce). He/Shebelong to defence priority (I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII/IX).

Priority - I : Widows/Wards of Defence Personnel Killed in Action.

Priority- II : Wards of disabled in action and boarded out from service.

Priority-III : Widows/Wards of Defence Personnel who died while in service with death attributable to military service.

Priority-IV : Wards of disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

Priority-V : Wards of Ex-Servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Award: [i. Param Vir Chakra; ii. Ashok Chakra; iii. Maha Vir Chakra; iv. Kirti Chakra; v. Vir Chakra; vi. Shaurya Chakra; vii. Sena, Nau Sena, Vayu Sena Medal; viii. Mention-in-Despatches].

Priority-VI : Wards of Ex-Servicemen.

Priority-VII: Wives of (i. defence personnel disabled in actionand boarded out from service; ii. defence personnel disabled in service and boarded out with disability attributable to military service; iii. ex-servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Awards).

Priority-VIII : Wards of Serving Personnel.

Priority- IX : Wives of Serving Personnel.

50% of the reserved seats of defence quota will be earmarked for the girls.

Candidate’s
photo

Candidate
father’s photo

Signature of competent Authority with seal

अनुलग्नक -I

सैनिकों के बच्चों/विधवाओं के लिए प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित है कि श्री/सुश्री/विधवा (अभ्यर्थी का नाम)जन्म तिथि.....
पुत्र/पुत्री/विधवा (सैनिक पिता/माता/पति का नाम)ने सेना की (थलसेना/नौसेना
/वायुसेना).....मे काम किया है। ये सैन्य सेवा के लाभ हेतु प्राथमिकता.....
(I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII/IX) से संबंधित है।

प्राथमिकता- I – युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों की विधवाओं/बच्चे

प्राथमिकता- II – युद्ध या सैनिक कार्यवाही के दौरान अपाहिज हो गये एवं जिस कारण सेवा से बाहर कर दिया गया उनके बच्चे

प्राथमिकता- III – सेना में रहते हुए मृत्यु हो गई एवं सेवा काल के दौरान सैन्य कारणों से मृत्यु हो गई उनके विधवाओं/बच्चे

प्राथमिकता- IV – सेवा काल के दौरान अपाहिज हो गये एवं सैनिक कार्यवाही के दौरान अपाहिज होने के कारण सेवा से बाहर कर दिया गया उनके बच्चे

प्राथमिकता- V – पूर्व सैनिकों एवं सेवारत सैनिकों जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त किया उनके बच्चे {i.परम वीर चक्र, ii. अशोक चक्र, iii. महा वीर चक्र, iv. कीर्ति चक्र, v.वीर चक्र, vi. शौर्य चक्र, vii.सेना, नौ सेना, वायु सेना मेंडल, viii. उल्लेख-इन-डिस्पैच}

प्राथमिकता- VI – पूर्व सैनिकों के बच्चे


प्राथमिकता- VII – की पत्नियों {i. युद्ध या सैनिक कार्यवाही के दौरान अपाहिज हो गये एवं जिस कारण सेवा से बाहर कर दिया गया, ii. सेवा काल के दौरान अपाहिज हो गये एवं सैनिक कार्यवाही के दौरान अपाहिज होने के कारण सेवा से बाहर कर दिया गया, iii. पूर्व सैनिकों एवं सेवारत सैनिकों जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त किया}

प्राथमिकता- VIII – सेवारत सैनिकों के बच्चे


प्राथमिकता- IX – सेवारत सैनिकों की पत्नियों

सैन्य कोटे की आरक्षित 50 प्रतिशत सीटें लड़कियों के लिये चिह्नित की गई है।

अभ्यर्थी की फोटो



अभ्यर्थी के पिता की
फोटो



सील के साथ सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर